

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एच.एच.एड. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ से ही किया जावे व कि किसी अन्य पराधिकारी के द्वारा नही।  
सम्बन्धित विषय पर यदि कृपे से पर सम्बन्धित हुआ तो तो पर सम्बन्धित एच.एड.एच. सम्बन्धित विषय पर विचार्ये करिते।



कक्ष - सूचीकर्मिणी  
दूरभाष - (0751) 2541896  
(0751) 2442022  
फैक्स - (0751) 2541766

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर  
क्रमांक/एच.एड.सम्बन्धिता/2012/5867

दिनांक: 29/12/2012

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित ए.डी.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अम्बाह, मुरैना को सन 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संघालित नवीन बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थाची सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये मानजीय कुलपति महोदय,स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :

- (1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442828)
- (2) डॉ. पुष्पा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) श्रीमती माया सिंह, जी.आई.एम.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति को सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27(10) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर बुल्ड, घरेलू राशि, बांकेल ऐकाणिक/अरीणिक उर्ध्व, प्रविष्टि/संस्था से प्राप्त अनुसंधान/अनुसंधित प्रमाण-पत्र, भवन, प्रौढा परिस्तर एवं पाठ्यक्रम/अपडिन्स तथा विद्यते तत्र में टी.ए.डी. शर्तों की पूर्ति तथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/ऐकाणिक एवं अरीणिक उर्ध्व की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन शर्तों के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधारों अर्पित करें।

स्थाची समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को पर क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये जाने निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थाची सम्बद्धता में विचलन नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निगमानुसार अर्धवृत्त जमा करकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / प्रशासनिक सहायक घनवली केवर जायेने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिनिधि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। तथा निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. अनुसंधित उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल
4. कुलपति के आदेश : कुलसचिव के जिम्मे सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)